भारत सरकार
पर्यटन मंत्रालय
राज्य सभा
लिखित प्रश्न सं. 939
गुरुवार, 9 फरवरी, 2023/20 माघ, 1944 (शक)
को दिया जाने वाला उत्तर

तमिलनाडु में स्वदेश दर्शन योजना

939. श्री पी. विल्सनः

क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) स्वदेश दर्शन योजना के माध्यम से देश भर में, विशेष रूप से तमिलनाडु राज्य में आवंटित केंद्रीय वित्तीय सहायता से संबंधित आंकड़े क्या हैं;

(ख) क्या मंत्रालय के पास देश में, विशेषकर तमिलनाडु में स्वदेश दर्शन योजना के माध्यम से सृजित रोजगार संबंधी आंकड़े हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

पर्यटन मंत्री (श्री जी. किशन रेड्डी)

(क): स्वदेश दर्शन योजना के तहत विकास हेतु तमिलनाडु सहित विभिन्न राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों को प्रदान की गई केंद्रीय वित्तीय सहायता से सम्बन्धित अनुबंध में दिए गए हैं।

(ख) और (ग): पर्यटन मंत्रालय ने स्वदेश दर्शन योजना के माध्यम से तमिलनाडु सहित देश में सृजित रोजगार के आकलन के लिए कोई अध्ययन नहीं किया है, तथापि राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद (एनपीसी) द्वारा जुलाई,2019 में स्वदेश दर्शन योजना का तृतीय पक्ष मूल्यांकन किया गया था। जिससे पता चलता है कि 'स्वदेश दर्शन योजना' आजीविका के अवसरों में वृद्धि करने और निर्माण के चरण में स्थानीय समुदायों के लिए रोजगार सृजित करने में सक्षम रही है।

****

अनुबंध

तमिलनाडु में स्वदेश दर्शन योजना के संबंध में 09.02.2023 के राज्य सभा लिखित प्रश्न संख्या 939 के भाग (क) के उत्तर में विवरण।

स्वदेश दर्शन योजना के तहत स्वीकृत परियोजनाओं का राज्य-वार विवरण।

(करोड़ रु. में)

क्र.सं	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	परियोजनाओं की संख्या	स्वीकृत राशि
1.	आंध्र प्रदेश	3	141.53
2.	अरुणाचल प्रदेश	2	146.49
3.	असम	2	185.66
4.	बिहार	5	262.73
5.	छत्तीसगढ़	1	96.10
6.	गोवा	2	197.00
7.	गुजरात	3	176.22
8.	हरियाणा	1	70.91
9.	हिमाचल प्रदेश	1	68.34
10.	जम्मू और कश्मीर और लद्दाख	6	519.59
11.	झारखंड	1	30.11
12.	केरल	5	343.84
13.	मध्य प्रदेश	4	349.70
14.	महाराष्ट्र	2	73.02
15.	मणिपुर	2	117.57
16.	मेघालय	2	184.10
17.	मिजोरम	2	158.63
18.	नागालैंड	2	195.50
19.	ओडिशा	1	70.82
20.	पंजाब	1	94.51
21.	राजस्थान	4	283.47
22.	सिक्किम	2	193.37
23.	तमिलनाडु	1	73.13
24.	तेलंगाना	3	268.39
25.	त्रिपुरा	2	127.68
26.	उत्तर प्रदेश	8	488.22
27.	उत्तराखंड	2	145.49
28.	पश्चिम बंगाल	1	67.99
29.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	1	27.57
30.	पुदुचेरी	3	142.84
31.	मार्गस्थ सुविधाएं, उत्तर प्रदेश और बिहार	1	15.07

****